केस का प्रकार–(छोटानागपुर ...

सत्य नारायण महतो ....आवेदक / विक्रेता

बनाम

श्रीमति समला महतो.................................क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
8·06·2020		

विक्रेता :– सत्य नारायण महतो पिता स्व0 गंगाधर महतो, ग्राम–धातकीडीह, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड),जाति–कुर्मी।

क्रेता :– श्रीमति समला महतो पति श्री सानो महतो, ग्राम–हाथीटांड, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड), जाति–कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 15.02.2020 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता श्रीमति समला महतो पति श्री सानो महतो, ग्राम–हाथीटांड, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :–

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना /थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
धातकीडीह	सरायकेला / 152	18	367	0.13एकड़

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरायकेला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सरायकेला का पत्रांक 375 दिनांक 21.03.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के दादाजी एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा–2.93 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला एवं जाति–'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते है।

लगातार................2

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सरायकेला ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता सत्य नारायण महतो पिता स्व0 गंगाधर महतो, ग्राम–धातकीडीह, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) क्रेता श्रीमति समला महतो पति श्री सानो महतो, ग्राम–हाथीटांड, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–0.13एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

18/06/2020
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।